न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधि...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज रामफूल बनाम राज० सरकार व अन्य मु. सं. 72/2017
8.5.18	दिनांक 8–5–2018 आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प गढहिम्मतसिंह पेश हुई। प्राथीगण/ वादीगण हंसराज रामफल व सुक्का उपस्थित। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि ग्राम गढहिम्मतसिंह तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 782,783,867 से 876,936 से 947, 950 से 963 कुल किता 38 रकबा 8.69 है.गत खसरा नम्बर l47 रकबा 34 बीघा 7 विस्वा से बने है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 948 व 949 गत खसरा नम्बर 146 से बने है। वादीगण के बाबा एवं प्रतिवादी संख्या 47 के पिता घूडया था किन्तु जमाबंदी संवत 2071–74 बनाते समय हिस्सा को विलोपित कर दिया गया है। अतः हिस्सा दुरूस्त फरमाया जावे। इसके पश्चात प्रार्थीगण की ओर से दावा बाबत घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है। वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये विभाजन का अनुतोष डिलीट करने हेतु निवेदन किया है। अतः वादीगण के वाद में से विभाजन का अनुतोष विलोपित करने के आदेश दिये जाते है। चूंकि दोनों प्रकरण एक ही आराजीयात से संबंधित है इसलिये प्रकरणों का एक ही निर्णय

नि० रामफूल

नि० सुक्का

हंसराज

उपखण्ड अधिकारी (header partly visible): जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महुवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज रामफूल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य मु. सं. 72/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबंदी संवत 2044–47 में आराजी खसरा नम्बर 146, 147 में अन्य खातेदारों के साथ खातेदार घूडया का 1/8 हिस्सा दर्ज है। जबकि भू प्रबन्ध खतौनी में घूडया पुत्र सालगा का हिस्सा दर्ज नहीं है। उपतहसीलदार मण्डावर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि जमाबंदी संवत 2044–47 के अनुसार घूडया पुत्र सालगा गुर्जर का 1/8 हिस्सा दर्ज है। किन्तु संवत 2071–74 के खाता संख्या 74,75 में हिस्सा दर्ज नहीं है। इसलिये घूडया पुत्र सालगा का 1/8 हिस्सा दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है। उप तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट होता है कि घूडया का हिस्सा दर्ज करने से रह गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि खातेदार का देहान्त हो चुका है इसलिये उनके वारिसान के नाम हिस्सा दर्ज किया जाना है। उप तहसीलदार मण्डावर ने अपनी रिपोर्ट में मृतक घूडया के चार पुत्र रामफूल, सुक्का, रामसिंह व लल्लू होना बताया है जिनका सम्पूर्ण आराजी के हिस्सा में 1/32 व 1/32 भाग होता है। दावा उनवानी रामफूल बनाम स्टेट में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद के अनुसार लल्लू का भी देहान्त हो चुका है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम व दावा बाबत घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई

उपखण्ड अधिकारी

निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर ग्राम गढहिम्मतसिंह तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 782,783,867 से 876,936 से 947, 950 से 963 कुल किता 38 रकबा 8.69 है.व खसरा नम्बर 948 व 949 में मृतक घूडया के वारिसान के नाम निम्नानुसार हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

रामफूल पुत्र घूडया	हि. 1/32
सुक्का पुत्र घूडया	हि.1/32
रामसिंह पुत्र घूडया	हि.1/32
हंसराज श्रीकिशन पि.लल्लू धर्मीदेवी पुत्री स्व. लल्लू पत्नि किरोड़ी R/o बाई तहसील टोडाभीम सुफेदी देवी पुत्री लल्लू पत्नि सिब्बन नि.भवनपुर का नगला तन राजपुर अर्जुनपुर	हि.1/32

शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी।

तहसीलदार महवा को उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ठियां करने हेतु लिखा जावे। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में सलग्न की जावे। पत्रावलियां फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)
कैम्प गढहिम्मतसिंह